केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्
संघ का ज्ञापन

1. <u>नाम:</u>

पूर्व में भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् के नाम से ज्ञात संस्था का वर्तमान नाम संक्षिप्त रुप में केन्द्रीय परिषद् अर्थात केन्द्रीय आयुर्वेदीय अनुसंधान परिषद् है।

2. **<u>पंजीकृत कार्यालय:</u>**

वर्तमान में संस्था का पंजीकृत कार्यालय सं. 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, सम्मुख 'डी' ब्लॉक जनकपुरी नई दिल्ली-110058 में स्थित है।

3. <u>परिभाषाएँ:</u>

1. केन्द्रीय परिषद् अर्थात् केन्द्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्।
2. 'महानिदेशक' अर्थात् केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक
3. गैर सरकारी सदस्य अर्थात् सरकारी सदस्य के अतिरिक्तअ न्य सदस्य
4. 'अध्यक्ष' अर्थात् केन्द्रीय परिषद् के शासी निकाय के अध्यक्ष
5. 'उपाध्यक्ष' अर्थात् केन्द्रीय परिषद् के शासी निकाय के उपाध्यक्ष

4. <u>उद्देश्य:</u>

केन्द्रीय परिषद् की स्थापना हेतु उद्देश्य

1. आयुर्वेदीय विज्ञान में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान पद्धतियों एवं उद्दे यों का निरुपण करना।
2. आयुर्वेदीय विज्ञान में किसी भी अनुसंधान या अन्य कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना।
3. अनुसंधान कार्य में सहायता करना एवं उसका निष्पादन करना, रोगों के कारणों एवं उनकी रोकथाम हेतु ज्ञान एवं प्रयोगात्मक मानदंडो का प्रचार-प्रसार करना।
4. आयुर्वेदीय विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मौलिक, व्यावहारिक एवं विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारम्भ करना, विकास एवं समन्वय करना तथा बीमारियों के कारणों और उनसे बचाव एवं उपचार के अध्ययन के लिए अनुसंधान संस्थाओं को उन्नत करना एवं सहायता प्रदान करना।
5. केन्द्रीय परिषद् के उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु अनुसंधान को वित्त प्रदान करना।
6. केन्द्रीय परिषद् के समान उद्देश्यों में रूचि रखने वाली संस्थाओं, संघों एवं समितियों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान करना और विशेषकर पूर्वी देशों एवं पूर्वी भारत में बीमारियों का अवलोकन एवं अध्ययन का आदान-प्रदान करना।

7. केन्द्रीय परिषद् के उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु प्रपत्रों, पोस्टर्स पुस्तिका सामयिक पत्रिका एवं पुस्तकों को बनाना, मुद्रण करना, प्रकाशन एवं प्रदर्शन करना तथा ऐसी साहित्यिक गतिविधियों में योगदान करना।
8. केन्द्रीय परिषद् के उद्देश्यों के प्रोत्साहन में निधि के लिए आवेदन बनाना, अपील जारी करना तथा उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए उपहार, दान, नकद अंशदान, सुरक्षित राशि एवं चल या अचल संपत्ति को स्वीकार करना।
9. केन्द्रीय परिषद् से संबंधित किसी भी चल या अचल संपत्ति को गिरवी रखकर अथवा जमानत या वचन देकर अथवा अन्य किसी भी प्रकार से सुरक्षित राशि के साथ अथवा सुरक्षित ऋण शुल्क पर ऋण लेना या धन जुटाना।
10. केन्द्रीय परिषद् के धन/ निधि का निवेश अथवा परिषद् को सौंपे गए धन (जो कि तुरन्त आवश्यक नहीं है) का संचालन इस रीति से किया जाए कि इसका परिषद् की शासी निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारण किया जा सके।
11. भारत सरकार की ओर से रोकी गई निधि को परिषद् के उपयोग हेतु अनुमति देना।
12. केन्द्रीय परिषद् के उद्देश्यों के लिए किसी चल अथवा अचल संपत्ति का आवश्यक अथवा सुविधा के अनुसार अस्थाई या स्थाई रूप से अधिग्रहण करना और रखना।
13. केन्द्रीय परिषद् के चल अचल संपत्तियों को बेचना, किराये पर देना, गिरवी रखना, और बदलना तथा अचल संपत्ति के स्थानान्तरण के संबंध में केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति लेकर स्थानान्तरित करना।
14. केन्द्रीय परिषद् के प्रयोजन एवं आवश्यकता के लिए किसी भवन को खरीदना, निर्माण करना रख-रखाव, बदलना जैसा भी परिषद् के लिए सुविधाजनक हो।
15. जहां भी वांछनीय हो, किसी भी स्थायी निधि के दान हेतु या ट्रस्ट निधि के दान के प्रबंधन का कार्य करना और स्वीकार करना।
16. केन्द्रीय परिषद् के उद्देश्यों के प्रोत्साहन हेतु यात्रावृत्त समेत पुरस्कार एवं छात्रवृति अनुदान देना।
17. संस्था के अंतर्गत प्रशासनिक, तकनीकी, मंत्रालय अनुसचिवीय एवं अन्य पदों का सृजन करना और संख्या के नियमों एवं विनियमों के तहत नियुक्ति करना।
18. परिषद् के कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लाभार्थ भविष्य निधि अथवा पेंशन निधि स्थापित करना।
19. इसी प्रकार अन्य वैधानिक कार्यों को अकेले अथवा ऐसे किसी संस्था के संयोजन के साथ करना जिन्हें केंद्रीय परिषद् आवश्यक समझती हो अथवा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना चाहती हो।
20. अनुसंधान एवं विकास परामर्श परियोजनाओं को गृहीत करना तथा औषधियों पर पेटेंट को स्थानान्तरित करना एवं उद्योगों को देने की प्रक्रिया करना।
21. सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में उद्योगों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को गृहीत करना ।
22. अंतर्राष्ट्रीय एवं अंत: संस्थागत सहयोग को लेना।
23. अनुसंधान के परिणामों को प्रयोग में लाना तथा इन अनुसंधानों में सहयोग देने वाले को रॉयल्टी /परामर्श शुल्क के भाग का भुगतान करना।

24. अन्य देशों की वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान, अध्ययन यात्रा, विशिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण, संयुक्त परियोजनाओं का संचालन आदि के प्रबंधन में शामिल होना।
25. परिषद् की गतिविधियों को सुसंगत बनाने के संबंध में सरकारी/निजी संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
26. *अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु औषध पादप बोर्ड, भारत सरकार की सहायता करना।
27. *अनुसंधान एवं विकास की गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए स्थानीय क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों/चिकित्सकों की लघु प्रबंधन समितियों को गठित करना एवं परिषद् के सभी केन्द्रीय एवं अनुसंधान संस्थानों की गतिविधियों में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक मानदंडों हेतु सुझाव देना।

5. परिसंपत्तियों का प्रबंधन:

संघ के इस ज्ञापन में, केन्द्रीय परिषद् द्वारा अर्जित धनराशि/सम्पत्ति के प्रबंधन की समय-समय पर भारत सरकार द्वारा प्रेरित कतिपय सीमाएं हैं। केन्द्रीय परिषद् की संपत्ति प्रत्यक्ष अथवा उपरोक्ष रुप से लाभ/लाभांश या अन्य किसी माध्यम से परिषद् के किसी समय रहे सदस्य/कर्मचारी/व्यक्ति को लांभंश के रुप में नहीं दी जा सकती/स्थानान्तरित नहीं की जा सकती। केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारी/सदस्य द्वारा, उसके द्वारा दी गई सेवा के बदले में या यात्रा भत्ते/मानदेय/अन्यशुल्कों के रुप में परिषद् की सम्पित्त का दावा नहीं किया जा सकता।

शासी निकाय

केन्द्रीय परिषद् के शासी निकाय के सदस्यों के नाम पता व्यवसाय एवं पदनाम इस प्रकार से हैं-:

क्र.सं.	नाम	पता	व्यवसाय	पद
1.	श्री श्रीपद् येस्सो नाईक	आयुष मंत्रालय, आयुष भवन नई दिल्ली	प्रभारी मंत्री, आयुष मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	श्री नीलान्जन सान्याल,	आयुष भवन, नई दिल्ली	सचिव, आयुष मंत्रालय	उपाध्यक्ष
3.	श्री आर.के. जैन	निर्माण भवन, नई दिल्ली-1	वित्त सलाहकार या उनके प्रतिनिधि जो उप-सचिव स्तर से नीचे नहीं है।	सदस्य
4.	श्री ए.के.गनेरीवाला	आयुष भवन नई दिल्ली	संयुक्त सचिव, आयुष **मंत्रालय**	सदस्य
5.	प्रो. एच.एम. चन्दोला	चौधरी ब्रह्मप्रकाश आयुर्वेदिक चरक संस्थान, रा.राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली	निदेशक/प्राचार्य	सदस्य
6.	प्रो. पी.मुरली कृष्णा	पंचकर्म विभाग एस.वी.आयुर्वेदिक एवं पी.जी.अध्ययन, तिरुपति	प्रोफेसर	सदस्य

7.	प्रो. धन्वे वर कलिता	शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय,गुवाहाटी	प्राचार्य,	सदस्य
8.	प्रो. महेश चन्द्र शर्मा	एस.बी.एल.डी.आयुर्वेद विश्वभारती सरदार शहर, राजस्थान	निदेशक,	सदस्य
9.	वैद्य राजेश कोटेचा	गुजरात आयु.विश्वविद्यालय जामनगर (गुजरात)	कुलपति,	सदस्य
10.	वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा	अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, नई दिल्ली	अध्यक्ष,	सदस्य
11.	प्रो.वाई.के.गुप्ता	भेषजगुणविज्ञान विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	प्रो.एवं विभागाध्यक्ष	सदस्य
12.	डॉ.एस.के.श्रीवास्तव	औषधिरसायन विभाग सी.आई.एम.एपी., लखनऊ	मुख्य वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष	सदस्य
13.	डॉ.एच.बी.सिंह	एमिल फार्मास्युटिकल्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली	मुख्य वैज्ञानिक वनस्पति विज्ञान	सदस्य
14.	डॉ. गोविन्द मखारिया	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	प्रो. जठरान्त्र विज्ञान एवं मानव पोषण विभाग	सदस्य
15.	प्रो.वैद्य करतार सिंह धीमान	सीसीआरएएस नई दिल्ली	महानिदेशक	सदस्य सचिव

6. संघ के ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले:

(केन्द्रीय आयुर्वेदीय एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् के संघ के ज्ञापन को केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने ग्रहण किया है।)

हम कई व्यक्ति जिनके नाम एवं पते नीचे दिए गए हैं, संघ के इस ज्ञापन में वर्णित उद्देश्यों के लिए स्वयं को सम्बद्ध करते हैं तथा पंजाब संशोधन नियम 1957 के अधिनियम 1860 के नियम XXI (जिसका कि दिनांक 30 मार्च 1978 को दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में विस्तार किया गया) के तहत अपना योगदान एवं संस्था बनाने का संकल्प लेते हैं।

क्र.सं.	नाम, व्यवसाय एवं पता	हस्ताक्षर
1.	श्री राज नारायण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री निर्माण भवन, नई दिल्ली	हस्ताक्षरित/-
2.	श्री जगदम्बी प्रसाद यादव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री निर्माण भवन, नई दिल्ली	हस्ताक्षरित/-
3.	श्री के .पी.सिंह अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली	हस्ताक्षरित/-
4.	श्री एन.एन.वोहरा संयुक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली	हस्ताक्षरित/-
5.	श्री प्रेमनाथ संयुक्त सचिव (वित्त सलाहकार) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली	हस्ताक्षरित/-
6.	पंडित शिव शर्मा बहारेस्तान,बोमान्जी पेटी रोड, कुम्बला हिल्, मुम्बई-400036	हस्ताक्षरित/-
7.	डॉ. एम.एल.द्विवेदी, कुलपति, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामनगर	हस्ताक्षरित/-
8.	वैद्य बी.डी. त्रिगुणा 143-सराँय काले खाँ निजामुद्दीन, नई दिल्ली	हस्ताक्षरित/-
9.	वैद्य बी.एम. दीक्षित ज्ञानबापी, वाराणसी	हस्ताक्षरित/-
10.	डॉ. सी.के.अटल	हस्ताक्षरित/-

	निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जम्मू	
11.	प्रो. असीम चटर्जी विभागाध्यक्ष रसायन विज्ञान कोलकाता विश्वविद्यालय कोलकाता	हस्ताक्षरित/-
12.	प्रो. शान्ता कुमारी विभागाध्यक्ष औषध विज्ञान मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम	हस्ताक्षरित/-
13.	वैद्य एस.के.मिश्र निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान , जयपुर	हस्ताक्षरित/-
14.	डॉ. ए.आनन्द कुमार, 14, रघुवीर स्ट्रीट टी नगर, मद्रास-600017	हस्ताक्षरित/-
15.	डॉ. वी.रघुपति अम्बासमुद्रम तिरुनेल्वीली जिला-तमिलनाडू	हस्ताक्षरित/-
16.	डॉ. पी.एन.वी.कुरुप, सलाहकार (आइएसएम) एवं पदेन निदेशक	हस्ताक्षरित/-

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्
के
नियम व विनियम

सदस्यता

1. केन्द्रीय परिषद् के निम्नलिखित सदस्य या तो कुछ निश्चित समय के लिए पदेन दस्य होगे या व्यक्तिगत नियुक्ति द्वारा या चुनाव द्वारा चुने जाऐंगे जैसा कि नियम एवं विनियम में निर्धारित है।
    1. केन्द्रीय परिषद् के अध्यक्ष
    2. केन्द्रीय परिषद् के उपाध्यक्ष
    3. शासी निकाय के सभी अन्य सदस्य
2. आयुष के प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होंगे।
3. आयुष मंत्रालय के सचिव उपाध्यक्ष होंगे।
4. केन्द्रीय परिषद् के महानिदेशक, जो केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से शासी निकाय के सदस्य सचिव होगें।
5. केन्द्रीय परिषद् के महानिदेशक पदेन सदस्यों के नामों को दर्शाने हेतु एक रजिस्टर बनाएंगे तथा अन्य सदस्यों हेतु एक अलग से रजिस्टर का रख रखाव करेंगे।

सामान्य बैठक

6. अध्यक्ष एक आम बैठक बुलाएंगें। एतदर्थ जब भी उन्हें यह आवश्यक लगेगा, उनके अनुदेश पर महानिदेशक द्वारा नोटिस पर हस्ताक्षर किए जाऐंगें। अध्यक्ष केन्द्रीय परषिद् के एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने पर आम बैठक बुलाएगें।
7. अध्यक्ष इस तरह की बैठक में चर्चा के लिए कार्य प्रणाली के हर आम बैठक और कार्यसूची की तारीख और जगह तय करेगें।
8. कम से कम इक्किस दिन के नोटिस पर जगह, दिन और समय का निर्देश इस तरह की बैठक में व्यवहार के सामान्य विचार विमर्श करने के लिए जिनके नाम एवं पते रजिस्टर में हैं को दिया जाना चाहिए।
9. आकस्मिक चूक के लिए किसी भी बैठक की सूचना देने हेतु या किसी भी तरह की सूचना की गैर-प्राप्ति की स्थिति में सदस्यों द्वारा बैठक में पारित कोई प्रस्ताव अमान्य नही होगा।

10.अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष हर सामान्य बैठक में अध्यक्ष के रुप्मेंअ ध्यक्षता करेगें। अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो उपस्थित सदस्य उस बैठक के लिए अध्यक्ष का चयन करेगें।

11.एक तिहाई सदस्य क्वोरम बनेगें, यदि क्वोरम के अभाव में बैठक स्थगित की गई है तो स्थगित बैठक के लिए कोई क्वोरम नहीं होगा।

12.सामान्य बैठक में सूचना में अनिर्दिष्ट किसी विषय पर विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष कदाचित् किसी उपस्थित सदस्य द्वारा प्रकाश में लाए गए किसी विषय पर विचार-विमर्श करने की अनुमति दें सकते हैं तथा इस प्रकार की बैठक में यदि कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए मतदान करनो का भी फैसला ले सकते हैं।

13.समय-समय पर अध्यक्ष इस बैठक को स्थगित करेगें।

14.बहुमत द्वारा हर प्रश्न का निर्णय लिया जाएगा। हर सदस्य एक वोट देगा एवं मतदान की एक समानता के मामले में अध्यक्ष दूसरा मत देगा। इस तरह की बैठक में सदस्य किसी भी बात पर परोक्ष रुप से मतदान कर सकते हैं।

15.उपकरणों के लिए प्रॉक्सी लिखित रुप में नियोक्ता द्वारा होनी चाहिए। वह व्यक्ति नियोक्ता नही हो सकता जो केन्द्रीय परिषद् का सदस्य नहीं है।

16.प्रॉक्सी करने वाले उपकरणको बैठक प्रारम्भ होने से कम से कम चौबीस घंटे पूर्व महानिदेशक के पास जमा किया जाना चाहिए।

17.प्रॉक्सी निम्नलिखित रूप में या परिस्थितियों के अनुसार होगा।

मैं .....अ. ब..... इसके द्वारा सीडी की नियुक्ति करते हैं

..... सीसीआरएएस की आम बैठक में मेरे लिए वोट करने के लिए मेरे प्रॉक्सी किसी भी स्थगन _____ पर आयोजित होने वाले उसके..... यह

हस्ताक्षर.....दिनांक.....19

शासी निकाय

18. परिषद मामलों के प्रबंधन का हकदार होगा जो कि शासी निकाय को सौंपे जाएगें। केन्द्रीय परिषद् की संपत्ति शासी निकाय में होगी और किसी भी कार्यवाही में महानिदेशक के नाम से निहित होगी। महानिदेशक की अनुपस्थित में संबंधित विषय की कार्यवाही शासी निकाय द्वारा नियुक्त किसी सदस्य द्वारा होगी।

19. परिषद् के शासी निकाय के पहले, एक नए शासी निकाय सदस्य को संघ ज्ञापन के खंड-6 के अनुसार सदस्य नियुक्त किया जाता है, जब तक शासी निकाय द्वारा नये सदस्य सदस्य नियुक्त नहीं हो जाते हैं। इन नियमों के अनुसार पद पर बने रहेंगे। तदन्तर शासी निकाय निम्नलिखित रूप से गठित रहेगी।

*1. अध्यक्ष	माननीय प्रभारी मंत्री, आयुष मंत्रालय
**2. उपाध्यक्ष	सचिव, आयुष मंत्रालय

शासकीय सदस्य

*3. वित्तीय सलाहकार या उनके प्रतिनिधि जो उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन नई दिल्ली से कम स्तर का नहीं हो

*4. संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, नई दिल्ली ।

गैर सरकारी सदस्य

*5. आयुर्वेद में पेशेवर/सुप्रसिद्ध शोधकर्ता/शिक्षक

6 से 10. आयुर्वेद में पाँच विशेषज्ञ जिनमें तीन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर/अनुसंधानकर्ताओं को लिया जाएगा।

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

संघ का ज्ञापन
नियम व विनियम एवं उपविधियाँ

आयुष मंत्रालय, आयुष विभाग

भारत सरकार

नई दिल्ली

2015

11. औषध विज्ञान में एक विशेषज्ञ।
12. रसायन विज्ञान में एक विशेषज्ञ।

13. वनस्पति विज्ञान में एक विशेषज्ञ।
14. आधुनिक विज्ञान में एक विशेषज्ञ।
15. महानिदेशक, केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् सदस्य सचिव।

दिनांक 15.11.1996 को यह सीसीआरएएस के शासीनिकाय की 13वीं बैठक में किए गए संशोधन।
दिनांक 5.4.2015 को यह सीसीआरएएस के शासीनिकाय की 13वीं बैठक में किए गए संशोधन।

20.महानिदेशक शासी निकाय के सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगें,जो सभी पदेन सदस्यों के अलग-अलग नामों को दिखायेगा। अन्य सदस्यों के लिए एक अलग रजिस्टर बनाया जाएगा।

सदस्यों की नियुक्ति अवधि

21.1. इस नियम के उप नियम (2) के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति शासी निकाय का सदस्य बन जाएगा तो कार्यालयी कारण से या कार्यालय में नियुक्ति होने से उसकी शासी निकाय की सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

2. उप-नियम (1) और (3) के तहत पहले से प्रदत्त शासी निकाय की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, और गैर सरकारी सदस्यों की शासी निकाय के लिए सदस्यता उनके नामांकन की तिथि से तीन वर्ष तक के लिए होगी। इस प्रकार के सदस्य उनके तीन साल के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद फिर से नामांकन के लिए पात्र होंगे।

3. शासी निकाय का हर सदस्य निम्नलिखित स्थिति में सदस्य नहीं रह जाएगा-, मानसिक रुप से अस्वस्थ हो जाने या नैतिक अक्षमता से ग्रस्त या अपराधी अथवा दोषी पाये जाने या पद से हटा दिए जाने पर।

4. सदस्यता का इस्तीफा शासी निकाय के सदस्य सचिव को दिया जाएगा और यह अध्यक्ष द्वारा शासी निकाय की ओर से स्वीकार न किए जाने की स्थिति में प्रभावी नहीं होगा।

5. इन उप नियमों के अंतर्गत किसी भी कारण द्वारा या मौत की वजह से शासी निकाय की सदस्यता में हुई रिक्ति को उप नियम 19 में प्रदत्त शासी निकाय की कार्यवाही के तरीके से भरा जाएगा।

22. शासी निकाय की बैठक वर्ष में दो बार होगी तथा अध्यक्ष समय और स्थान का फैसला करेंगे। अगर शासी निकाय के 1/3 सदस्यह स्ताक्षर कर माँग करें तो उचित जगह एवं यथोचित समय पर बैठक होगी।
23. शासी निकाय की वार्षिक बैठक में निम्नलिखित कार्य प्रणाली को अग्रसारित और निपटान किया जाएगा:

अ. पिछले एक साल के आय और व्यय खाते और तुलन पत्र।
ब. केन्द्रीय परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट।
स. अगले वर्ष के लिए बजट।
द. अगले वर्ष हेतु अनुसंधान कार्य और पूछताछ के लिए प्रस्ताव।
य. स्थाई समिति की नियुक्ति।
र. कार्यसूची पर अन्य कार्यवाही।

ल. अध्यक्ष की अनुमति से साथ अन्य कार्यवाही को लाना या किसी विषय पर विचार करना।

24. शासी निकाय की बैठक के लिए नियत तारीख से पहले 21 दिनों के अन्दर हर सदस्य को निश्चित समय, जगह तिथि का नोटिस दिया जाए। सदस्य सचिव की ओर से नोटिस होगा एवं बैठक में प्रस्तुत करने हेतु कार्यसूची के साथ किसी सदस्य को आकस्मिक त्रुटि का भी ओर नोटिस दिया जाएगा तथा उस बैठक में पारित परिपत्र संकलन को रद्द नहीं किया जा सकता। किसी भी अति आवश्यक कार्यक्रम कार्यवाही के लिए अध्यक्ष 10 दिनों के नोटिस में शासी निकाय की बैठक बुला सकते हैं।
25. शासी निकाय की बैठक में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सीट लेगें। अगर दोनो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो शासी निकाय सदस्यों में से एक सदस्य का चुनाव कर उसे बैठक का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
26. नियम 30 के तहत शासी निकाय के 1/3 सदस्य (नामित सदस्य भी शामिल हैं) उपस्थित सदस्यों में से शासी निकाय की हर बैठक में क्वोरम बनायेगें।
27. शासी निकाय की बैठक में सभी विवादित सवाल मतों से निर्धारित किए जाएगें।
28. शासी निकाय का प्रत्येक सदस्य एक मत देगा एवं मत बराबर होने की स्थिति में अध्यक्ष निर्णायक मत देगें।
29. अध्यक्ष को किसी भी बैठक को समय-समय पर स्थगित करने का अधिकार है।
30. किसी भी सरकारी सदस्य के बैठक में भाग लेने हेतु उनकी जगह लेने के लिए विकल्प के तौर पर सदस्य को मनोनीत करने के लिए अध्यक्ष स्वतंत्र होंगे।
31. शासी निकाय के प्रस्ताव को स्थगन करने के इच्छुक किसी भी सदस्य को दस दिनों के भीतर सदस्य सचिव को लिखित में देना होगा।
32. शासी निकाय के लिए कोई भी कार्यवाही जो आवश्यक हो, का निष्पादन करना, वार्षिक बैठक में इसको प्रस्तुत करना इसके सदस्यों को परिचालित करना तथा बहुमत के लिए सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित करवाना। अनुमोदित प्रस्ताव प्रभावी एवं बाध्य होगा, अगर यह प्रस्ताव शासी निकाय द्वारा पारित हो बशर्ते कि 1/3 सदस्य प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त कर चुके हो। तुरन्त किसी कार्य को परिषद् के अध्यक्ष, शासी निकाय की ओर से इस पर निर्णय ले सकते हैं। इस प्रकार के निर्णय को शासी निकाय की आगामी बैठक में अनुसमर्थन हेतु रखा जाएगा।

शासी निकाय की शक्तियाँ

33. केन्द्रीय परिषद् के कार्य पर शासी निकाय का पूर्ण नियंत्रण होगा, एवं शासी निकाय केन्द्रीय परिषद् की समस्त शक्तियों एवं कार्यों पर केन्द्रीय परिषद् के लक्ष्य एवं उद्देश्य के साथ अधिकारी होगा।
34. केन्द्रीय परिषद् के वेतन और भत्ते को बचाने हेतु निधि के व्यय के विषय में शासी निकाय के पास पूर्ण नियंत्रण (एवं विदेश सेवा पर सरकारी नौकरियों में रियायतें) होगा।
35. केन्द्रीय परिषद् के व्यवसाय के नियमन के लिए शासी निकाय के पास उपविधि निर्माण हेतु पूर्ण शक्ति है एवं विशेष रुप से खातों के रखाव की तैयारी एवं बजट- अनुमान के खातों, व्यय की स्वीकृति , केन्द्रीय परिषद् के नियंत्रण और निधि- निवेश तथा इस निवेश के परिवर्तन एवं क्रय-विक्रय (आवश्यक उद्देश्य के लिए) करने के लिए पूर्ण शक्ति है।
36. शासी निकाय परिषद् उद्देश्यों के लिए असंगत न्यास निधि या दान-प्रदान की धनराशि के प्रबंधन एवं प्रशासन का कार्यभार ग्रहण कर सकता है।

37. शासी निकाय समितियों का गठन प्रदर्शन एवं प्रगति की समीक्षा करेगा एवं विभिन्न संकायों के तहत इकाईयों से स्थापित करेगा और केन्द्रीय परिषद् से संबंधित इकाई को नीति निर्देश देगा।
38. शासी निकाय प्रारंभिक प्रभार एवं व्यय का भुगतान करेगा एवं उसकी आकस्मिक स्थापना एवं पंजीकरण करेगा।
39. शासी निकाय के पास अपने नियम व शर्तों पर किसी भी संपति का अधिग्रहण या खरीद की पूर्ण शक्ति है।
40. केन्द्रीय परिषद् के मामलों से संबंधित किसी भी कार्यवाही को संचालित करने, सुरक्षा देने, समझौता कराने या त्याग देने के लिए या परिषद् के पक्ष में या विपक्ष में निर्णय लेने की शासी निकाय को पूर्ण शक्ति है।
41. केन्द्रीय परिषद् की प्रतिभूतियों के मुद्रण एवं निधि सौदों एवं निवेश पर शासी निकाय की पूर्ण शक्ति है और इस तरह से वह समय-समय पर बदलते रहे निवेश को जारी करे।
42. केन्द्रीय परिषद् के उद्देश्य के लिए या किसी भी विषय के लिए जैसे उचित समझे हर कार्य का निष्पादन या अनुबंध को बदलने एवं रद्द अनुबंध या वार्ता में डालने का पूर्ण अनुबंध शक्ति शासी निकाय के पास है।
43. शासी निकाय केन्द्रीय परिषद् के महानिदेशक को संकल्प रुप में कार्य संचालन के लिए शक्ति प्रदान कर सकती है जैसा उचित समझे।
44. सुरक्षा के साथ या सुरक्षा के बिना मुद्रा बढ़ाने हेतु शासी निकाय सशक्त है एवं केन्द्रीय सरकार की पूर्व सहमति से इसकी संपत्ति को अधीनस्थ एवं जरुरत के अनुसार अधीनस्थ कार्यों एवं अधीनस्थ प्रभार के साथ आवश्यक दस्तावेजों को आवश्यकतानुसार निष्पादित कर सकती है।
45. शासी निकाय अन्य विशेषज्ञों की स्थायी या तदर्थ आधार पर - समिति गठित कर सकती है या सदस्यों को नियुक्त कर सकती है।

    अ) परिलब्धियों की संरचना के संबंध में प्रस्ताव जारी करना जैसे कि वेतनमान भत्ते के अंगीकरण एवं पदानुसार वेतन मान का सृजन, संशोधित वेतनमान रु.10,000-15,200 सहित एवं वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से लागू करेगी।

6.वित्त स्थायी समिति

**46. परिषद् के पास निम्नलिखित सदस्यों से संगठित स्थायी वित्त समिति है:-

क) संयुक्त सचिव, आयुष मंत्रालय	**अध्यक्ष**
ख) अतिरिक्त सचिव/वित्त सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन	**सदस्य**
ग) प्रो एच.एम. चंदोला, प्राचार्य निदेशक, चौ. ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेद चरक संस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार	**सदस्य**
घ) वैद्य देवेन्द्र त्रिगुणा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस, नई दिल्ली	**सदस्य**
ङ) प्रो. वैद्य के.एस.धीमान, महानिदेशक, सीसीआरएएस	**सदस्य सचिव**

स्थाई वित्त समिति परिषद् के वित्त के सभी संबंधित विषयों पर शासी निकाय की अनुशंसा करेगी।

प्राधिकार: शासी निकाय की 12वीं बैठक दिनांक 20.02.1996,
शासी निकाय की 13वीं बैठक दिनांक 15.11.1996
शासी निकाय की 20वीं बैठक दिनांक 13.08.2015

अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कार्य

47. अध्यक्ष केन्द्रीय परिषद् में अधिकतम रु. 15,200/- के वेतनमान से या पुनरीक्षित वेतनमान के पदों पर व्यवसाय शक्ति निर्धरित चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तियों को स्वीकृति दें गे।
48. अध्यक्ष के पास केन्द्रीय परिषद् की प्रगति एवं काम में समय-समय पर समीक्षा का अधिकार है एवं केन्द्रीय परिषद् के मामलों में पूछताछ समिति की अनुशंसा पर समीक्षा या पूछताछ हेतु आदेश जारी करने की शक्ति हैं। ।
49. इन नियमों में केन्द्रीय परिषद् की कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाने हेतु आपात स्थिति के मामलों में शासी निकाय को सभी शक्तियों का प्रयोग करने से रोकने एवं बाद में अनुसमर्थन देने की भी अध्यक्ष के पास शक्ति है।

महानिदेशक की शक्तियाँ एवं कार्य

50. महानिदेशक, केन्द्रीय परिषद् के मुख्य कार्यकारी होगें एवं केन्द्रीय परिषद् के अधीन नीतियों, योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों के समन्वय के लिए जिम्मेदार होगें। अनुसूची 1 की उपिवधि में विनिर्दिष्ट इस तरह के कार्यों का निर्वहन एवं पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना महानिदेशक ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगें।
    अ. केन्द्रीय परिषद् के मामले, कार्य प्रणाली, कर्तव्यों, एवं साधारण वर्तमान प्रशासन के उचित आचरण के लिए आवश्यकता अनुसार सभी तरह के कार्य करेंगे।
    ब. वह केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्य- विभाजन करेगें एवं नियम- विनियम के आवश्यक विषय जैसे कार्यकारी नियंत्रण और पर्यवेक्षण का प्रयोग करेगें।
    स. इस संबंध में उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के या उनके हस्ताक्षर से सारे पत्राचार होगें।
    द. वह शासी निकाय द्वारा नियुक्त सभी समितियों के (पदेन) सदस्य होगें एवं सभी या किसी समिति की बैठक के निर्णय उनकी उपस्थित में होगें।
    य. वह अध्यक्ष या शासी निकाय द्वारा प्रदत्त वित्तिय या प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगें।
    र. महानिदेशक शासी निकाय की ओर से सभी अनुबंध, संविदा आदि पर निष्पादन एवं हस्ताक्षर करेगें जो परिषद् की कार्यप्रणाली के सही संचलन के लिए आवश्यक है। प्रत्येक संविदा का मसौदा रुपये 50,000/- से ज्यादा प्रतिफल के साथ भारत सरकार के सॉलिस्टर को प्रस्तुत करेंगे या सलाह के लिए विधि मंत्रालय में फार्म-शुद्धिकरण हेतु प्रस्तुत करेंगे।
    ल. वह केन्द्रीय परिषद्, शासी निकाय की ओर से प्लेन्टों, लिखित दस्तावेज, कथन हलफनामों में याचिकाओं, तालिका-कथनों आदि को हस्ताक्षरित एवं सत्यापित करेगें।
    व. वह कानूनी सलाह लेने के बाद केन्द्रीय परिषद् के संबंध में कोई समझौता करनें या किसी भी विवाद पर मध्यस्थता हेतु अग्रेषित करने की शक्ति रखते हैं।

श. महानिदेशक,को इस तरह के प्रतिबंध जैसे वह सही समझते हैं, उप निदेशक (प्रशा.) /लेखा अधिकारी/ प्रायोजन एवं संवितरण अधिकारी को मामले के अनुसार अधिरोपित एवं अधिकृत करने की उप विधि के तहत क्रमश: अनुसूची -2 एवं 3 में शक्तियाँ प्रदान की गई हैं।

ष. महानिदेशक को उपविधि के तहत स्वयं की शक्तियों को परियोजना प्रमुखों- द्वारा प्रयोग में लाए जाने के लिए अधिकृत करने की शक्ति है।

ह. प्रत्येक मामले में ग्रुप ए या बी का प्रायोजन एवं संवितरण अधिकारी या अन्य कोई अधिकारी महानिदेशक द्वारा अधिकृत उनकी ओर से विविध एवं आकस्मिक प्रकृति के व्यय (रुपये 500/- राशि से अधिक नहीं) की स्वीकृति देने की शक्ति रखते है-

क्ष. केन्द्रीय परिषद् के उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए उपहार, दान, नकद स्वीकार करना तथा दान जिस उद्दे य के लिए प्राप्त किया गया है उसके लिए उपयोग में लाना।

लेखा एवं लेखा परीक्षा

51. अ. केन्द्रीय परिषद् अपनी सभी मुद्राएं एवं सम्पत्ति कार्य का नियमित लेखा में रखाव रखेंगे।

ब. भारत सरकार द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा केन्द्रीय परिषद् की वार्षिक लेखा परीक्षा की जाएगी एवं केन्द्रीय परिषद् द्वारा लेखा परीक्षक के संबंध में हुए व्यय को परिषद् द्वारा भुगतान किया जाएगा।

स. केन्द्रीय परिषद् द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक के केन्द्रीय परिषद् की लेखा परीक्षा के संबंध में सामान्य अधिकार, विशेषाधिकार एवं प्राधिकारिता नियत्रंक एवं महा लेखा परीक्षक के समान होंगे। उन्हें लेखा परीक्षा के साथ किताबों,लेखा,वाउचर के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज एवं कागज प्रस्तुत करने हेतु अभियाचना का अधिकार भी होगा।

द. इस लेखा परीक्षा की रिपोर्ट लेखा परीक्षक द्वारा केन्द्रीय परिषद् को सूचित की जाएगी तथा भारत सरकार को अपने प्रेक्षण के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।

बैंकर

52. परिषद् के बैंकर भारतीय स्टेट बैंक या अन्य कोई राष्ट्रकृत बैंक हो सकते हैं, नियुक्त बैंक के साथ केन्द्रीय परिषद् के लेखा में सभी प्रकार की विधि का भुगतान किया जाएगा एवं समय-समय पर केन्द्रीय परिषद् के महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत दो अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर या महानिदेशक द्वारा हस्ताक्षर चेक, बिल, नोट या अन्य परक्रम्य लिखित को छोड़कर वापिस नहीं लिया जा सकता।

केन्द्रीय परिषद् के अधीनस्थ संस्थान में महानिदेशक के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक या अन्य राष्ट्रीय बैंक को या डाकघर बचत बैंक में विशेष स्थिति में अधिकृत अधिकारी-प्रभारी/परियोजना अधिकारी द्वारा लेखा-प्रचलन किया जाएगा।

विविध उपबन्ध

53. नियमों एवं विनियमों के उद्देश्य के लिए एक वर्ष लिया जाएगा जो 1 अप्रैल से प्रारम्भ होगा एवं 31 मार्च को समाप्त होगा।
54. आगे की वस्तुओं के बदलाव हेतु समय-समय पर निर्देशों को जारी करने की भारत सरकार की शक्ति होगी।
55. केन्द्रीय परिषद् भूतपूर्व केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों को लेगा जो पहले वाली शर्तों एवं परिस्थितियों पर इस परिषद् में कर्मचारी के तौर पर लिए गए थे। ऐसे कर्मचारी सीसीआरआईएमएच में नियुक्ति की दिनांक से इस परिषद् के कर्मचारी समझे जाएंगे।
56. शासी निकाय की वार्षिक बैठक में विचार एवं अनुमोदन हेतु (केन्द्रीय परिषद् का) वार्षिक लेखा रखा जाएगा। शासी निकाय द्वारा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट कथन की प्रतिलिपि

    6 माह के अन्दर भारत सरकार के समक्ष अग्रेषित की जाएगी। एवं प्रासंगिक लेखा वर्ष के 9 माह के भीतर संसद में रखा जाएगा।
57. केन्द्रीय परिषद् के किसी भी सदस्य को (संबोधित सदस्य को) व्यक्तिगत रुप में या लिफाफा के द्वारा सदस्यता क्रमांक में प्रविष्ट पते पर नोटिस प्रेषित किया जाएगा।
58. महानिदेशक के कार्यों को विनियमित करने हेतु उप विधि बनाने की शक्ति शासी निकाय में निहित है। जो समय-समय पर इस उप विधि को बदलने एवं संशोधन का निर्णय करेगें।
59. केन्द्रीय परिषद् एवं शासी निकाय किसी भी व्यक्ति को किसी भी कारण से किसी रिक्ति की स्थिति में नियुक्त करने के लिए अधिकृत नहीं है। इस प्रकार की नियुक्ति को अवैध मानते हुए परिषद्/ निकाय की किसी भी कार्यवाही को अनुपयुक्त नहीं माना जाना चाहिए अथवा किसी सदस्य की दोष पूर्ण नियुक्ति से भी परिषद्/निकाय की कार्यप्रणाली को अवैध नहीं माना जाना चाहिए।
60. भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सोसायटी पंजीकरण एक्ट XXI 1860 की अनुसूची 12 द्वारा परिकल्पित विचार में किसी भी संस्था या सोसायटी के साथ केन्द्रीय परिषद् के समन्वय के लिए वस्तुओं और उद्देश्यों में फेरबदल या संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय परिषद् के पास नहीं है।
61. सोसायटी के मामलों में शासी निकाय की वार्षिक बैठक से पूर्व सदस्यों का व्यवसाय, पता एवं नाम तथा सोसाइटी के कार्यप्रबंधन के विषय में सोसायटी के पंजीयक को वर्ष में एक बार एक सूची प्रस्तुत करनी होगी।
62. सोसायटी की संपत्ति के समाधान एवं नियत्रंण हेतु सारे आवश्यक कार्य समय पर अनुमोदित या भंग किये जाएंगे। सोसायटी के सदस्यों के कम से कम 3/5 सदस्य द्वारा निर्धारण किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए प्रतिनिधि द्वारा या उनके व्यक्तिगत मत में विदित इस विघटन के लिए जब तक सोसायटी के 3/5 सदस्य इच्छा व्यक्त नहीं करेंगे उसे भारत सरकार की सहमति के बिना भंग नहीं किया जाएगा। शासी निकाय एवं सोयायटी के सदस्यों के बीच कोई विवाद होने की स्थिति में समाधान हेतु केन्द्रीय सरकार को अग्रसारित किया जाएगा तथा केन्द्रीय सरकार इस विषय में आदेश प्रदान करेगी।
63. इस अधिनियम के तहत पंजीकरण सोसायटी के विघटन पर किसी संपत्ति के देनदारियों एवं ऋण की संतुष्टी के बाद इसका भुगतान या वितरण इस सोसायटी के सदस्यों या अन्य किसी को भी नहीं

किया जाएगा। लेकिन इस उद्देश्य के लिए जैसा वह उचित समझे केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जा सकता है।

64. नियमों एवं विनियमों के अनुसार इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए सोसायटी का सदस्य वह व्यक्ति होगा जो इन नियमों एवं विनियमों के अनुसार सदस्यों की सूची पर हस्ताक्षर करेगा एवं इन नियमों एवं विनियमों के अनुसारइ स्तीफा नहीं देगा।
65. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI 1860(पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957) के सभी प्रावधानों को दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में विस्तार किया गया है, इस सोसाइटी में लागू होगा।
66. शासी निकाय की किसी बैठक जो उद्देश्य के लिए संयोजित 2/3 बहुमत व्यक्ति में वर्तमान सदस्य द्वारा प्रस्ताव पारित द्वारा किसी भी समय (केन्द्रीय परिषद् के) पिछले इस उद्देश्य से सभी सदस्यों को सूचित किया जाएगा। नियमों एवं विनियमों को छोड़कर नियम एवं विनियम परिवर्तन हो सकता है।

हम केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधन परिषद् के प्रथम शासी निकाय के सदस्यों के तीन व्यक्ति हस्ताक्षर कर प्रमाणित करते है कि उपर्युक्त (केन्द्रीय परिषद् की) नियमों एवं विनियमों की प्रतिलिपि सही है।

नई दिल्ली
दिनांक:, मार्च, 1978

1. श्री एम.एल. द्विवेदी
2. डॉ. पी.एन.वी.कुरुप
3 .डॉ.एस.के.मिश्रा

उपविधियाँ

अनुमानित बजट की तैयारी एवं स्वीकृति

1. आगामी वित्तीय वर्ष के लिए महानिदेशक केन्द्रीय परिषद् के आय एवं व्यय एवं अपेक्षित आदि एवं अंत राशि का विस्तृत आकलन शासी निकाय के वार्षिक बैठक से पहले प्रत्येक वर्ष करेंगे।
2. शासी निकाय द्वारा के अनुमोदन के बिना कोई भी प्रावधान या बजट का आकलन किसी भी योजना के लिए नहीं होगा।
3. वित्तीय वर्ष के अध्ययन के दौरान किसी भी योजना हेतु यह प्रस्तावित किया जाना चाहिए, जो उस वर्ष के लिए किए गए आकलन में शामिल होगा। आकलन के साथ पुनर्विनियोजन संतुलित अनुपूरक अनुदान के माध्यम से (विधि) वित्तपोषण के लिए प्रस्तावित शासी निकाय की स्वीकृति द्वारा किया जाएगा। महानिदेशक अपने कार्यालय में बजट रजिस्टर रखेंगे जिसमें भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की प्रविष्टि करेगें एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त विनिर्दिष्टि शीर्ष (विशेष उद्देश्य के लिए) व्यय के लिए आवंटित राशि दिखाएगें। महानिदेशक संशुद्ध संतुलन को दर्शाने वाले प्रमाण पत्र को लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।
4. शासी निकाय के अनुमोदनार्थ आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट आकलन की प्रस्तुति हेतु महानिदेशक उत्तरदायी होंगे।
5. लेखा परीक्षक को (अंतिम रुप से स्वीकृत ऑकलन की) एक प्रतिलिपि प्रदान करनी होगी। स्वीकृति उस वर्ष के दौरान सामान्यतया सक्षम प्राधिकारी द्वारा संप्रेषित की जाएगी।
6. केन्द्रीय परिषद् की निधि से भी योजना के वित्तपोषण करने के प्रस्ताव पर शासी निकाय का अनुमोदन आवश्यक है।

7. प्रयोजनो के लिए किसी भी अनुमोदित योजना हेतु अतिरिक्त अनुदान या नए आकस्मिक व्यय प्रस्ताव के लिए केन्द्रीय परिषद् के उद्देश्य हेतु निम्नलिखित सीमा के साथ स्वीकृति प्रदत्त है:-

अध्यक्ष - रु. 20,000/-
उपाध्यक्ष - रु. 15,000/-
महानिदेशक - रु. 10,000/-

विनियोग

8. इस उपविधि के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं होने की स्थिति में किसी भी मद पर व्यय के लिए केन्द्रीय परिषद् के निधि विनियोग नहीं होगा।
9. विनियोग का प्राथमिक ईकाई आमतौर पर 'योजना' या 'अनुसूची'एवं माध्यमिक इकाई जैसे 'वेतन' भत्ता 'आकस्मिकताओं' आदि आवश्यकता के रुप में सम्बद्ध एवं खुलेंगे।

पुर्नर्विनियोग

10. महानिदेशक एक प्राथमिक इकाई से दूसरे में या एक माध्यमिक इकाई से दूसरे (पुनर्विनियोजन निधि) प्राथमिक इकाई के भीतर निधि को पुनर्विनियोग करने की शक्ति रखते है।
11. महानिदेशक शासी निकाय द्वारा अनुदान स्वीकृति के समक्ष व्यय पर दृष्टि रखेंगे एवं व्यय अधिक या स्वीकृत अनुदान से अधिक व्यय होने की स्थिति में अन्य पुर्नर्विनियोजित इकाई के तहत प्रत्यायित बजत से पुनर्विनियोग करेंगे या अतिरक्ति अनुदान प्रदान करेंगे।
12. सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना केन्द्रीय परिषद् की निधि से कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा।
13. सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना कोई भी व्यय क्रियाशील नहीं होगा।

निवेश

14. केन्द्रीय परिषद् के साथ सी.पी./जी.पी. के तहत निधि निवेश किया जाएगा। परिषद् के निधि नियमों का निम्नलिखित तरीके से निवेश होगा:-
    अ. भारत सरकार के या राज्य सरकार के वचन नोट, ऋणपत्र, स्टॉक, कोषागार जमा, प्रमाण पत्र या अन्य प्रतिभूतियाँ।
    आ. भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत भारतीय स्टेट बैंक या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ विशिष्ट अवधि के लिए सावधि जमा में ज्यादाब याज अर्जन हेतु।
15. केन्द्रीय परिषद् की निधि के सभी निवेश केन्द्रीय परिषद् के नाम में रखे जाऐंगे। शासी निकाय की ओर से महानिदेशक द्वारा केन्द्रीय परिषद् के सारे (इन निवेश के) खर्च, बिक्री, या बदलाव प्रभावित होंगे एवं निवेश के सारे अनुबंध स्थानान्तरण- कार्य या अन्य आवश्यक दस्तावेज, बदलाव, बिक्री खर्च के लिए निष्पादित होगें। महानिदेशक के व्यक्तिगत चार्ज में रसीदों का सुरक्षित रख-रखाव एवं सुरक्षित रजिस्टर के साथ 6 माह में एक बार जाँच की जाएगी। रजिस्टर में महानिदेशक द्वारा जाँचने का प्रपत्र रिकार्ड होगा।
16. केन्द्रीय परिषद् द्वारा आयोजित प्रतिभूति का रजिस्टर महानिदेशक रखेंगे जिसमें प्रतिभूति का प्रभावित लेन देन दर्ज होगा।

निधि का आहरण

17. नियम 50 में दिए गए तरीके से बैंक से निधि निकाला जाएगी। महानिदेशक के या उनके ओर से प्राधिकृत अन्यव यक्ति या व्यक्तिगत रख-रखाव में चेक व पासबुक रखी जाएगी।
18. सभी नये चार्ज केन्द्रीय परिषद् के तहत विभिन्न कार्यरत अधिकारियों एवं केन्द्रीय परिष्द् के महानिदेशक को निधि की मांग (को प्रस्तुत होगें) भुगतान के लिए महानिदेशक को वेतन एवं भत्ता के लिए, दावा एवं आकस्मिक बिल एवं अधिकारियों को यात्रा भत्ता निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने होंगे। महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत संवितरण अधिकारी एवं लेखा/प्रयोजना अधिकारी द्वारा भुगतान के लिए सारे बिलों की जाँच के पश्चात जारी किए जाएंगे। महानिदेशक द्वारा या अन्य किसी अधिकारी (महानिदेशक की ओर से प्राधिकृत) द्वारा भुगतान के लिए संवितरण अधिकारी एवं लेखाकार/लेखा अधिकारी द्वारा जारी होने से पहले आकस्मिक एवं यात्रा-भत्ता बिल प्रतिहस्ताक्षरित होगें। लेखा एवं संवितरण अधिकारी द्वारा एवं उनके द्वारा जारी माह का वेतन एवं भत्ता बिल पारित किया जाएगा। मामले के अनुसार चेक और मांग पत्र के द्वारा भुगतान किया जाएगा।

<u>लेखा</u>

19. केन्द्रीय परिषद् के महानिदेशक तुलन पत्र, वर्ष समाप्त के लिए व्यय, आय का वार्षिक लेखा, अन्य प्रासंगिक अभिलेख एवं उचित लेखा परीक्षक एवं शासी निकाय द्वारा स्वीकृत निर्धारित फार्म में मार्च 31 को तुलन पत्र तैयार करेंगे। लेखा अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी महानिदेशक की सहायता करेंगे एवं परिषद् लेखा की शुद्धता एवं पूर्णता पर सलाह देंगे।
20. केन्द्रीय परिषद् के प्राथमिक लेखा का निम्नलिखित फॉर्म में रख-रखाव किया जाएगा:-
    फार्म 1. नकद पुस्तिका (चेक बुक)
    फार्म 2. सुरक्षा रजिस्टर
    फार्म 3. आय बुक
    फार्म 4. चैक बुक के स्टाक का रजिस्टर
    फार्म 5. आय स्टाक पुस्तिका रजिस्टर
    फार्म 6. गैर व्यय सामान के स्टॉक का रजिस्टर
    फार्म 7. अवकाश एवं पेंशन संबंधी रजिस्टर
    फार्म 8. स्थाई,अस्थाई अग्रिम का रजिस्टर
    फार्म 9. वार्षिक लेखा
21. केन्द्रीय परिषद् के लेखा परीक्षक का कार्य का भारत के निदेशक लेखा परीक्षक या उनकी ओर से नियुक्त अन्य कोई सदस्य कार्य का संचालन करेगा।
22. लेखा अधिकारी/आरक्षण एवं संवितरण अधिकारी लेखा परीक्षण से पूर्व, परिषद् की निधिसे भुगतान के संबंधि से चेक प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित रूप में पंजिकाओं का रख रखाव रखेंगे।
    फार्म 10. लेखा रजिस्टर स्थापना
    फार्म 11. भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारियों के समक्ष केन्द्रीय परिषद् के अधिकारियों के भत्ता एवं वेतन रजिस्टर।
    फार्म 12. यात्रा भत्ता रजिस्टर
    फार्म 13. आकस्मिक रजिस्टर
    फार्म 14. विशेष चार्ज रजिस्टर
    फार्म 15. अनियमित वेतन से संबंधित आपत्तिदर्शक पुस्तिका

फार्म 16. समायोजन रजिस्टर

फार्म 17. वित्तीय प्रत्योजन आदेश रजिस्टर आदि।

23. यदि केन्द्रीय परिषद् की निधि से लेखा के तहत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को देने से लेखा परीक्षक संतुष्ट होते हैं कि यह परिषद् मे उद्देश्य के लिए दिया गया अनुदान है जैसा कि संघ के ज्ञापन के अनुरुप है। तो लेखा परीक्षक द्वारा एतदर्थ प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की स्वीकृति ली जा सकती है।

24. इन विधि या नियमों एवं विनियमों के तहत लेखा अधिकारी को लिखित में सूचित नियम एवं विनियम के तहत केन्द्रीय परिषद् के खातों को प्रभावित सभी स्वीकृति, आदेश सक्षम अधिकारियों का प्रत्यायोजन लिखित में कम करने से लेखा अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

सेवा की शर्तें

नियुक्ति

25. अ. केन्द्रीय परिषद् के अधिकारी एवं कर्मचारी निम्नलिखित श्रेणी के ग्रुप में होंगे:

(i) वे जो अनुसंधान कार्य में नियुक्त

(ii) तकनीकी सहायक

(iii) प्रशासन, सचिवीय एवं लेखा

(iv) सम्बद्ध कर्मचारी

ब. पद के लिए पदनाम सक्षम प्राधिकारी या शासी निकाय द्वारा दिए गए भर्ती नियमोंके अनुसार भर्ती, नियुक्ति एवं पदोन्नति के सारे पद बनाए जाएंगे। नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ गठित चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की जाएगी।

स. चयन समिति सभी अभ्यर्थियों के प्रत्यय पत्र एवं अन्य किसी नाम का विचार एवं जिन्होंने आवेदन किया है चयन समिति सभी उम्मीदवारों का साक्षात्कार करेंगे एवं तदनुसार नियुक्ति प्राधिकारी को अनुशंसा करेंगे।

द. केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ शासी निकाय द्वारा महानिदेशक की नियुक्ति की जाएगी।

नियुक्ति की अवधि

26. विशेष शर्तों पर विनिर्दिष्ट वर्षों के लिए अनुबंध आधार पर जब तक अधिकारी आगे की कार्यवाही के लिए नियुक्त नहीं होता तब तक केन्द्रीय परिषद् के तहत सेवा अस्थाई रहेगी। बिना किसी कारण के स्थाई कर्मचारियों के मामलों में किसी भी पक्ष की ओर से तीन माह नोटिस एवं अस्थाई कर्मचारियों के मामले में एक माह का नोटिस द्वारा किसी भी समय कर्मचारी की सेवा समाप्त हो सकती है। फिर भी केन्द्रीय परिषद् कर्मचारी की सेवा की समाप्तिका अधिकार रखती है या उनके द्वारा जैसा भी मामला हो कर्मचारी नोटिस अवधिया अव्यतीत भाग के बदले वेतन भत्ते को समर्पित नहीं कर सकता है जब तक कि नियुक्ति अधिकारी इसे स्वीकार नहीं करें। भुगतान देने के मामले के रुप में तीन या एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।

परिवीक्षा अवधि

27. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्णय के आधार पर एक कर्मचारी 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेगा। परिवीक्षा की अवधि के दौरान कर्मचारी से संतोषप्रद सेवा अपेक्षित है जिसके असफल होने पर

उसकी सेवा बिना किसी नोटिस या कारण के किसी भी समय सेवा समाप्त हो जाएगी। फिर भी नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकतें है।

वरिष्ठता

28. केन्द्रीय परिषद् के प्रत्येक श्रेणी में कर्मचारियों की वरिष्ठता योग्यता क्रम द्वारा जिस साल ग्रेड में नियुक्ति के लिए चयनित हुए हैं, तदनुसार निर्णय लिया जाएगा। पहले चयनित वाले बाद में चयनित से वरिष्ठ होंगे। अभ्यर्थी जो पहले चयनित हुए है तथा कार्यभार ग्रहण की दिनांक के बाद केन्द्रीय परिषद् में कार्यभार ग्रहण करते हैं तो उनकी वरिष्ठता उनके पद को शुरु करने की दिनांक से संगणित होगी।

पदोन्नति एवं सीधी भर्ती से संबंधित वरिष्ठता

29. सीधी भर्ती से संबंधित वरिष्ठता एवं पदोन्नति, रिक्तिके क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। सीधी भर्ती से संबंधित वरिष्ठता के बीच भर्ती नियमों के अनुसार सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए नियुक्ति रिजर्व कोटे के आधार पर होगी।

कर्मचारी पूर्ण समय सेवक होंगे

30. केन्द्रीय कर्मचारी पूर्ण समय की सेवा कर केन्द्रीय परिषद् के कार्य का निपटान करेंगे एवं केन्द्रीय परिषद् के उचित प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित आधार में वे बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के सेवा प्रदान करेंगे।

अंशदायी भविष्यनिधि / सामान्य भविष्यनिधि

31. केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारी, विदेशी सेवा या प्रतिनियुक्ति एवं वो जो 1.4.1982 से सेवा में है एवं जिन्होंने उस दिनांक से उपदान - कम पेंशन डीसीआर के लिए विकल्प दिया हैं वे परिषद् की अंशदायी भविष्यनिधि योजना से जुड़ने के लिए पात्र हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी एवं संशोधन अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम 1962 "म्युटेटिस म्युटेंडिस" के अनुसार आवेदन करेगें। वे जो पेंशन योजना द्वारा नियंत्रित हैं सामान्य भविष्यनिधि पर अंशदान के पात्र होंगे एवं समय - समय पर संशोधन एवं भारत सरकार के सामान्य भविष्यनिधि नियमों द्वारा इस उद्देश्य के लिए वे नियंत्रित होंगे।

पेंशन

32. समय-समय पर शासी निकाय द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर केन्द्रीय परिषद् की निधि से केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारी (अंशदायी भविष्य निधि योजना के लिए चयनित को छोड़कर) पेंशन के लिए पात्र होंगे। वे कर्मचारी जो 01.01.2014 को या बाद में नियुक्त हुए हैं, वे नये पेंशन नियमों द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे।

उपदान

***33. केन्द्रीय परिषद् के (स्थाई एवं अस्थाई) कर्मचारी केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मान पर मृत्यु-निवृत्ति उपदान के हकदार रहेगें। अपने कर्मचारियों के लिए इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये नियमों पर 'म्युटेटिस म्युटेंडिस' केन्द्रीय परिषद् के सभी कर्मचारियों पर लागू होगा।

* प्राधिकर: मंत्रालय के पत्र सं वी-27031/36/94-एचडी दिनांक 27.05.2004 द्वारा अनुमोदित।

** प्राधिकर: शासी निकाय की 18वीं बैठक जो दिनांक 05.04.2005 को आयोजित हुई।

*** प्राधिकर: शासी निकाय ककी 8वीं बैठक जो दिनांक 12.12.1986 को आयोजित हुई।

अधिवर्षिता

34. भारत सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति नियमानुसार समय-समय पर संशोधित होगी। अधिवर्षिता की निर्धारित आयु के बाद सेवा में कर्मचारी प्रतिधारित हो सकता है अगर वह शारीरिक स्वस्थ एवं कार्यदक्ष रहेंगा एवं यदि यह केन्द्रीय परिषद् को हित में है कि वह सेव में उसे प्रतिधारित करे।

35. भारत सरकार के मौलिक एवं अनुपूरक नियमों एवं सामान्य वित्तीय नियमों का ''म्युटेटिस म्युटेंडिस'' समय-समय पर संशोधित रुप में केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों पर लागू होगा।

पुनर्नियुक्त व्यक्तियों का वेतन

36. केन्द्रीय परिषद् के पुनर्नियुक्त व्यक्ति का वेतन केन्द्रीय परिषद् या राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी कानूनी या सरकार द्वारा साधारण प्रकाशन निकाय सेवा से सेवा निवृत्त होने के बाद जिस पद पर भी व्यक्ति पुनर्नियुक्त होगा उस पद के वेतन के न्यूनतम (निर्धारित) वेतन मान नियत होगा। अगर पुनर्नियुक्त अधिकारी का प्रारंभिक वेतन न्यूनतम है तो प्रत्येक वर्ष एक अधिकारी की समर्पित सेवा में वेतन वृद्धि होगी सेवा निवृत्ति से पहले इसके साथ उनको स्वीकृत किसी पेंशन को वह वापसी ले सकते हैं एवं वह अन्य सेवा निवृत्ति लाभ ले सकते हैं जो भी वह पात्र हैं जैसे कि सरकारी या (सी.पी. निधि को) कर्मचारी अंशदान, उपदान, पेंशन की परिवर्तित आदि प्रारंभिक वेतन की कुल राशि एवं पेंशन की सकल राशि पेंशन समकक्ष अन्य सेवानिवृत्ति लाभ उससे अधिक नहीं होगा।

अ. सेवानिवृत्ति से पहले वेतन सेवानिवृत्ति पूर्व वेतन या रू. 10,000/- जो भी कम हो, लेगें (पहले सेवानिवृत्ति वेतन) ।

आ. रु. 10,000/-

1. सेवा निवृत्ति से पहले अंतिम स्पष्टीकरण मूल वेतन, विशेष वेतन पर लिया जाएगा। सेवा निवृत्ति के एक वर्ष पहले के लिए पदस्थापना नियुक्ति में वेतन खाते में ली जाएगी अगर वह निरन्तर लेते रहे हों तो।

   प्राधिकारी: शासी निकाय की 14वीं बैठक दिनांक 27.01.2000

2. पुनर्नियुक्ति पर वेतन का प्रतिबंध जोड़ कुल पेंशन/पेंशन अन्य सेवा निवृत्ति लाभ से तुल्यमान अंतिम वेतन से अधिक नहीं होनी चाहिए। केन्द्रीय परिषद् के पर्व अनुमोदन के साथ रियायत, पुनर्नियुक्त पेंशनर के लिए होगी।
3. पद के न्यूनतम वेतन के मामले में जिसमें अधिकारी पुनर्नियुक्त हुआ हैं यदि वह अंतिम वेतन से अधिक है तो प्रतिष्ठान अधिकारी पद के निर्धारित वेतन मान के न्यूनतम की वापसी कम पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के तुल्यमान होगी।
4. उपर्युक्त पेंशनरों के निर्धारित प्रथम वेतन के आधार पर उसे पद के टाइम स्केल पर सामान्य वेतन वृद्धि हेतु अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि वह नियम, वह सामान्य पद के वेतन वृद्धि

की अनुमोदित हेतु वेतनमया कुल पेंशन/ अन्य सेवा निवृत्ति लाभ के तुल्यमान पेंशन रु. 70,000/- पूर्व संशोधित प्रत्येक माह पर लिया जाएगा।

प्राइवेट प्रैक्टिस

37. केन्द्रीय परिषद् के तहत सेवा प्राइवेट या परामर्शदाता प्रैक्टिस से अनुसंधान कर्मचारी वंचित रहेंगे।

यात्रा- भत्ता के विनियम के लिए गैर-सरकारी की स्थिति

38. प्राइवेट व्यक्ति जो परिषद् का पूर्ण समय सेवक नही है या पारिश्रमिक द्वारा पूर्णत: या आंशिक अनुपूरक नियम 17 के तहत यात्रा भत्ते के लिए आवेदन करता है तो उसकी पद- स्थिति को केन्द्रीय परिषद् स्पष्ट करेगी।

केन्द्रीय परिषद् कर्मचारियों की स्थाई एवं अस्थाई स्थिति

39. केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारी तीन वर्ष की सेवा निरन्तर या ज्यादा, वेतन वृद्धि, वेतन का नियतन, व्यक्तिगत अग्रिम का अनुदान, आदि के आहरण के उद्देश्य के लिए स्थाई सरकार के रुप में व्यवहार होगा एवं स्थाई कर्मचारी पर जो नियम लागू होते हैं अस्थाई सरकारी सेवक के रुप में कम से कम तीन वर्ष की सेवा के साथ कर्मचारी पर लागू होगा।

नोट:- विदेशी सेवा शर्तों पर केन्द्रीय परिषद् के तहत सरकारी सेवक पर उपविधि (38 और 39) लागू नहीं होता है।

भारत एवं विदेश में प्रतिनियुक्ति

40. केन्द्रीय परिषद् के जो कर्मचारी पाँच वर्ष सेवा पूर्ण कर चुके हैं। उच्च अध्ययन या प्रशिक्षण के लिए फेलोशिप से सम्मानित हैं। भारत एवं विदेश में विशेष अवकाश शर्तों पर प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। समय-समय पर भारत सरकार द्वारा इस विषय पर जारी आदेश का ठीक उसी रूप में इन प्रदत्त शर्तों पर विनियमन होगा।
41. उपविधि के तहत केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों को दिए जाने वाले अवकाश के अनुदान से अस्थाई कर्मचारी को वंचित नहीं रखा जाएगा बशर्ते कि सम्पादित कर्तव्यों की प्रकृति के अनुरुप होना चाहिए।

अवकाश नियम

42. केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश नियमों) 1972 में समय-समय पर संशोधन लागू होंगे जो केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। अनुबंध के आधार पर केन्द्रीय परिषद् के तहत नियुक्ति कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के अनुबंध अधिकारियों पर उपयुक्त समान नियमों के तहत अवकाश प्रदान करेगें।

कर्मचारियों हेतु चिकित्सा सुविधा

43. केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति सहित एवं उनके परिवार के सदस्यों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत निर्धारित चिकित्सा सुविधा प्राप्त कराने के लिए अधिकृत होगी तथा जहां पर सीजीएचएस की सहमति के साथ ये सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। इस योजना के तहत

अपेक्षित अंशदान का भुगतान करेगें। नगर/शहर क्षेत्र में जहां सीजीएचएस की सुविधा नहीं है वहां यथोचित परिवर्तन सहित उसी रूप में सीएस (एमए) द्वारा शासित होंगे।

पद वेतनमान

44. केन्द्रीय परिषद् की सेवा में कार्यरत अधिकारियों एवं पदस्थापना को उपयुक्त वेतनमान एवं भत्ता भारत सरकार द्वारा साधारण कार्मिक हेतु निर्धारित वेतन उनके तहत रोजगार नियोजित कार्मिकों को उसी रूप में मिलेगा।

कर्मचारियों को केन्द्रीय परिषद् निवास का आबटंन

45. केन्द्रीय परिषद् के नियमों के तहत पात्र कर्मचारियों को अगर उपलब्ध हो तो केन्द्रीय परिषद् के निवास का आवंटन उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

आचरण अनुशासन एवं दंड

46. भारत सरकार के केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों एवं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमों उसी रूप में केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों पर लागू होगा।

1. अगर आरोप पत्र अनुसंधान परिषद् के मुख्य के खिलाफ है तब आरोप पत्र संयुक्त सचिव द्वारा अध्यक्ष शासी निकाय/एच.एफ.एम. की तरफ से हस्ताक्षर होगा।
2. अगर आरोप पत्र परिषद् के महानिदेशक के अन्य अधिकारियों के खिलाफ है तब परिषद् के महानिदेशक (नियमित या स्थानापन्न) द्वारा आरोप पत्र पर हस्ताक्षर होगा।

सीसीएस (आचरण) नियमों एवं सीसीएस नियमों में दंड विनिर्दिष्ट आदेश से अपील तालिका 4 या 5 में प्राधिकारी विनिर्दिष्ट पर अनुबंध के अनुसार मामले में अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

प्राधिकरी: शासी निकाय की 16वीं बैठक दिनांक 07 जुलाई, 2003।

सेवा की अन्य शर्तें

47. केन्द्रीय सरकार के सेवकों का इन नियमों के मामलों के सन्दर्भ में जो उल्लिखित नहीं है के संबंध में जैसे सेवा, वेतन, भत्ता एवं दैनिक भत्ता, विदेश सेवा शर्तें, विदेश में प्रतिनियुक्ति आदि की सामान्य शर्तों एवं समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्णय एवं आदेशों का केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों को उसी के रूप में लागू होगा।

हस्तान्तरण के लिए दिशा निर्देश

47. अनुसंधान परिषद् में हस्तान्तरण में पारदर्शिता होने हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश लागू होंगे:-

1. मुख्यालय के सभी समूह ए एवं बी अधिकारियों की सेवा 5 वर्ष पूर्ण होने पर कर्मचारी अनुमोदित स्टाफ पैटर्न एवं पद की उपलब्धता पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित होंगे।
2. उच्च पद पर पदोन्नति होने पर अधिकारी के उस पद पर न रहने की स्थिति में निरपेक्ष रिक्त की उपलब्धता के स्थान पर वे अधिकारी/कर्मचारी (स्थानान्तरण) होगें जिन्होंने क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता विकसित की है। वो उस संस्थान ईकाई में स्थानान्तरण होगें जंहाँ उनकी विशेषज्ञता का उपयोग किया जा सके।
3. सामान्यता ग्रुप सी एवं डी के कर्मचारी प्रशासनिक अतिआवश्यकता एवं स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण होगें। रिक्त की उपलब्धिया आपसी सहमति पर स्वयं स्थानान्तरण होगा जिसमें दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. रिक्त की उपलब्धता पर ग्रुप सी से ग्रुप बी पर अधिकारी पदोन्नति होकर स्वयं स्थानान्तरण हो सकते है।
5. 58 वर्ष की आयु के बाद किसी भी अधिकारी/कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं होगा या तो स्वयं अनुरोध एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की अपेक्षा के मामले या इन अधिकारियों का उनके गृह नगर/शहरों में स्थानान्तरण हो।
6. वे ग्रुप सी एवं डी अधिकारी का स्थानान्तरण जब जाँच प्रगित में हो तो लोकहित में या अधिकारी के निलम्बन के प्रत्यावर्तन के रुप में सहारादिया जाएगा।
7. इन ग्रुप सी एवं डी के साथ सारे अधिकारी का स्थानान्तरण जब जाँच प्रगित में हों तो लोकहित में या अधिकारी के निलम्बन के प्रत्यावर्तन के रुप में सहारादिया जाएगा।
8. ग्रुप सी एवं डी के साथ कर्मियों एवं कर्मचारी न्यायालय के आदेशों पर स्थानान्तरण के योग्य होंगे।
9. जहाँ तक हो तो स्थानान्तरण पर जाएंगे जितना भी हो सके (प्रशासनिक स्तर पर छोड़कर) शैक्षिक वर्ष के समाप्त होने पर प्रभावित प्रयास करें जिससे परिषद् के अधिकारियों के बच्चों की शिक्षा पर व्यवधान से बचा जा सके।
10. अधिकारी/कर्मचारी के जीवन साथी अगर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में रोजगार के मामले में इन अधिकारी/कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रतिबंधित होगा (प्रशासनिक स्त्र को छोड़कर) तथा रिक्त की उपलब्धता के विषय में उनके पारिश्रमिक सदस्यों की जगह की पोस्टिंग जिसके ना होने पर आस-पासके स्टेशन पर की जाएगी।
11. अगर किसी समय, किसी भी श्रेणी के कर्मचारी सदस्य का स्थानान्तरण ग्रुप सी.डी.कर्मचारी के साथ स्थानान्तरण आवश्यक होगा प्रशासनिक स्तर पर परिषद् उसे एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानान्तरण करने का अधिकार रखती हैं।
12. ग्रुप 'ए' पद की नई नियुक्ति रिक्ति की उपलब्धता के विषय पर तीन वर्ष की अवधि के लिए जनजातीय क्षेत्रों में सेवा करेगें। यह अधिकारी, अवधि के समाप्त होने पर वापस अपने गृह

राज्य या आस-पास के स्टेशन उनकी पसंद एवं रिक्ति की उपलब्धता की शर्त पर स्थानान्तरण किए जाएंगे।

13. उत्तर पूरब क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी सेवा सुकवधाएं स्वीकार्य के संबंध में भारत सरकार की अनुदेश (अनुशरण होंगे), समय-समय पर संशोधन के रुप में जी.आई; एम.एफ. ओ.एम. नं. 20014/3/23 .ईआइवी दिनांक 14.12.1084 के अनुसार (अनुसरण होगे)।
14. प्रशासनिक एवं तकनिकी क्षेत्र पर एक स्थापना/इकाई से दूसरे में कुछ पद का हस्तान्तरण की आवश्यकता हो पद के साथ उस पद का पदधारी का भी हस्तान्तरण होगा। महानिदेशक स्वयं एक इकाई से दूसरी इकाई पदधारी के साथ इस पद के हस्तानान्तरण की आवश्यकता के बारे में स्वयं संतुष्ट होंगे एवं प्रमाणित करेगे कि यह लोकहित के लिए होगा एवं प्राप्ति के बाद आवश्यक अनुमोदन की अपेक्षा है। यह शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन के साथ होगा एवं अति आवश्यक के मामले में शासी निकाय के अध्यक्ष की अनुमोदन से होगा।
15. पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत के आधार पर स्थानान्तरण के मामले में नैत्तिक अध्यक्षत, वित्तीय गवन एवं अनुशासनहिता, निष्ठा, पूर्व जॉच के बाद स्थानान्तरण की जरुरत के लिए महानिदेशक स्वयं को संतुष्टि करेगें।
16. विशेष इकाई से तकनीकी अधिकारी/वैज्ञानिक के स्थानान्तरण के कारण महानिदेशक यह ध्यान रखेंगे किस्थानान्तरण के दौरान अनुसंधान कार्य प्रतिकूलरुप से प्रभावित ना हो।
17. आधार की जरुरत पर एक संस्थान/ मुख्यालय से दूसरे मुख्यालय से दूसारे संस्थान में पद के साथ महानिदेशक किसी भी श्रेणी के नियमित कर्मचारी का स्थानान्तरण करेगें।

48. **उपविधि में किसी भी बदलाव में शासी निकाय की पूर्व अनुमोदन की जरुरत होगी:-**

<u>अनुलग्नक</u>

(उपविधि -46)

पदों का विवरण	**प्राधिकारी दंड आरोपित करने हेतु अधिकार एवं दंड जो कि आरोप किया जाना है।**		**अपीलीय अधिकारी**	
	लघु दंड	बृहत दंड	लघु दंड	बृहत दंड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
ग्रुप ए (I)	अध्यक्ष शासी निकाय	शासी निकाय	शासी निकाय	शासी निकाय
ग्रुप ए (II)	महा निदेशक	अध्यक्ष शासी निकाय	अध्यक्ष शासी निकाय	शासी निकाय
मु.कार्यालयके ग्रुप बी.सी. और डी,	महानिदेशक	अध्यक्ष शासी निकाय	अध्यक्ष शासी निकाय	उपाध्यक्ष निकाय
संस्थान में ग्रुप सी.डी.	महा निदेशक	अध्यक्ष शासी निकाय	अध्यक्ष शासी निकाय	उपाध्यक्ष शासी निकाय
संस्थानों में ग्रुप सी.और डी.	संस्थान प्रभारी परियोजना अधिकारी	महानिदेशक	महा निदेशक	उपाध्यक्ष शासी निकाय

रुपये 6600/- के ग्रेड वेतन के साथ

अनुसूची-1

महा निदेशक में निहित शक्तियों की अनुसूची
(नियम 50)

क्र.सं.	शक्ति	प्रभाव (सीमा)
1.	केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों को अनुसचिवीय सेवक घोषित करना।	पूर्ण शक्ति
2.	नियुक्ति से पहले स्वस्थता (व्यक्तिगत मामलों में) चिकित्सा प्रमाण पत्र साथ जारी करना।	पूर्ण शक्ति
3.	धारणाधिकार निलम्बित करने के लिए -	प्राधिकृत बशर्ते कि पद के नियुक्ति करने में पूर्ण शक्ति प्रदान हो।
4.	धारणाअधिकार स्थानान्तरण करने के लिए -	प्राधिकृत बशर्ते कि पद के नियुक्ति करने में संबधित पद से पूर्ण शक्ति प्रदान हो।
5.	एक पद से दूसरे पद पर कर्मचारी का स्थानान्तरण	पूर्ण शक्ति
6.	द्विय प्रभार एवं परिलब्धियां रखने के लिए कर्मचारी की नियुक्ति।	प्रत्येक पद में पूर्ण शक्ति बशर्ते कि उन्हें नियुक्ति करने की पूरी शक्ति है
7.	मानदेय की स्वीकृति या स्वीकृति दे ना	प्रत्येक मामले में अधिकतम रुपये 2500/- प्रति व्यक्ति प्राधिकार: शासी निकाय की 14वीं बैठक 27.01.2000
8.	असाधारण मामलों में 62 एवं 60 वर्षों की निर्धारित आयु के बाद सेवा में परषिद् के तकनीकी /अनुसंधान कर्मचारी को बनाए रखने के लिए।	पद के संबंध में जिसमें वह नियुक्त प्राधिकार एक समय में वर्ष की अवधि के लिए जिस पद के लिए वह नियुक्त अधिकारी है।
9.	शुल्क का स्वीकार एवं प्राइवेट काम के तहत अनुमति देना।	सीसीआरएएस द्वारा शुल्क का स्वीकार एवं प्राइवेट काम करने हेतु अनुमति देने के संबंध में
10.	दो या दो से ज्यादा मार्गों की कमी का निर्णय करना	उनके अधिकार क्षेत्र के साथ (यात्रा के लिए) पूर्ण शक्ति
11.	लघु मार्ग के अलावा अल्पमार्ग के सड़क भत्ता हेतु आज्ञा देना	पूर्ण शक्ति मार्ग का चयन देना केन्द्रीय परिषद् के हित में हो।
12.	कर्मचारी के ड्यूटी के क्षेत्र के सीमा की परिभाषित करना	पूर्ण शक्ति
13.	कोई विशेष अनुपस्थिति या ड्यूटी को अनुपस्थिति के संबंध में निर्णय लेना	पूर्ण शक्ति
14.	भारत के किसी भी भाग में कर्मचारी को	पूर्ण शक्ति

	ड्यूटी पर लगाने हेतु अधिकृत क रना	
15.	यात्रा की अवधि एवं आवृति को प्रतिबंधित करना	पूर्ण शक्ति
16.	वायुयान से यात्रा की (अधिकारी गैर कार्मिक-गैर कार्मिक अधिकारी) जो पात्र नहीं है।	ग्रुप ए अधिकरियों के मामले में पूर्ण शक्ति।
17.	अप्रयुक्त वायुयान/रेल टिकट रद्द प्रभार भुगतान करने की प्रतिपूर्ति	रद्द परिषद् के हित में किया गया हो।
18.	रेल सें जुड़ा हुआ स्टेशन के बीच सड़क द्वारा व्यक्तिगत प्रभाव की गाड़ी पर हुए वास्तविक व्यय की अनुमति देना।	पूर्ण शक्ति
19.	उनके अधीन अन्य किसी भी (राजपत्रित अधिकारी) के कुछ मामलों में वह निर्णय लेने की शक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।	पूर्ण शक्ति
20	अधिकारी को यात्रा भत्ता अग्रिम बिल पर प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु अनुमति देना जिसमें स्थाई यात्रा भत्ता अग्रिम उस अधिकारी को स्वीकृत है।	पूर्ण शक्ति
21	यह निर्णय लेने की शक्ति की कौन कौन नियंत्रित अधिकारी एवं नियमों के लिए मार्गदर्शन करेंगे।	पूर्ण शक्ति, बशर्ते कि कोई कर्मचारी अपने कोस् वयं नियंत्रित अधिकारी घोषित नहीं कर सकता।
22	पौधे, भण्डार कार्य हेतु उपकरणों आदि को खरीदना।	इस उद्देश्य के लिए बजट प्रावधान की सीमा तक
23	बजट सीमा के भीतर गैर आवर्ति आकस्मिक प्रभार को स्वीकृत करने की शक्ति।	इस उद्देश्य के लिए बजट प्रावधान की सीमा केअ न्तर्गत
24	स्थाई अग्रिम स्वीकृति की शक्ति	पूर्ण शक्ति
25	नगर पालिका या छावनी कर स्वीकृति की शक्ति	पूर्ण शक्ति
26	उनके नियंत्रण के तहत पदधारी एवं गैर पदधारी द्वारा जरुरत प्रकाशन बजट सीमा के अधीन खरीदने की शक्ति	पूर्ण शक्ति प्राधिकारी: शासी निकाय 14वीं बैठक दिनांक 27.01.2000
27	साधारण कार्यालय आवास के किराए स्वीकृति की शक्ति	सीपीडब्लुडी द्वारा नि र्धारण के विषयों में दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता हेतु प्रत्येक वर्ष रु.1, लाख एवं अन्यस् थानों हेतु रु.5,000/- प्रत्येक वर्ष। प्राधिकारी: शासी निकाय 14वीं बैठक दिनांक 27.01.2000

28	भवन का रखरखाव अधीनस्थ कार्य भवन के मांग के संरक्षण एवं क्षेत्र निर्माण कार्य, मरम्मत एवं बदलाव। नोट:- यह व्यय तभी माना जाएगा अगर भू-स्वामी चार्ज करने से मना कर दे।	सरकारी अभिकरण/पीडब्लुडी/सीपीडब्लूडी/ के माध्यम से परिषद् की इमारत के लिए निधि की उपलब्धता रु. 5.00 लाख तक। प्राधिकारी: शासी निकाय 17वीं बैठक दिनांक 13.12.2003
29	आकस्मिक स्वरूप के स्थिर व्यय प्रभार स्वीकृत करने की शक्ति	पूर्ण शक्ति
30	टेलीफोन किराए स्वीकृति की शक्ति	पूर्ण शक्ति
31	स्थानान्तरण के तहत अधिकारी को वेतन अग्रिम स्वीकृति की शक्ति	पूर्ण शक्ति
32	यात्रा भत्ता का अग्रिम उनका एवं अन्य कार्मिको को प्रदान करने की शक्ति	पूर्ण शक्ति
33	समय-समय पर भारत सरकार द्वारा संशोधन नियमों के अनुसार सीपी/जीपी से अंतिम निकासी अग्रिम स्वीकृति की शक्ति।	पूर्ण शक्ति
34	समय-समय पर संशोधन सरकारी नियमों के अनुसार त्योहार अग्रिम स्वीकृति की शक्ति।	पूर्ण शक्ति
35.	समय-समय से संशोधित सरकारी नियमों के अनुसार वाहन क्रय के लिए अग्रिमस् वीकृति का अधिकार	पूर्ण शक्तियां
36.	समय-समय से संशोधित सरकारी नियमों के अनुसार जिससे परिषद् के पक्ष में सूट हेतु अग्रिम स्वीकृति एवं व्यय करने का अधिकार	पूर्ण शक्तियां
37.	अग्रिम पुनर्भुगतान की शर्तों के लिए पृथक शक्ति	पूर्ण शक्तियां
38.	असंवितरित वेतन एवं भत्ते के अवधारण के आदेश की शक्ति	तीन माह तक
39.	समय-समय मैं संशोधन के रूप में सरकारी नियमों के अनुसार बच्चों के शिक्षा भत्ता एवं ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ती की स्वीकृति की शक्ति	पूर्ण शक्तियां
40.	समय-समय में संशोधन के रूप में सरकारी नियमों के अनुसार परिवार के सदस्यों या स्वयं कर्मचारी के संबंध में किए गए चिकित्साव यय की प्रतिपूर्ती की स्वीकृति की शक्ति	पूर्ण शक्तियां
41.	क्रय की स्वीकृति की शक्ति	पूर्ण शक्तियां
42.	बट्टे खाते में डालना, भण्डार, मुद्रा, अग्रिम आदि के वसूली योग्य के संबंध में इस शर्त के साथ कि (1) चोरी के कारण हानि नहीं हुई (2) केन्द्रीय परिषद् के सेवकों या कुछ व्यक्तिगत	भण्डार में 25000/- की हानि, लापरवाही, धोखा या चोरी के कारण नहीं हुई हो एवं अन्य मामलों में रू. 5000/- की हानि लापरवाही, धोखा या चोरी के कारण घटित हुई हो।

	सेवक की ओर से गंभीर लापरवाही या यह प्रणाली के एक दोष का खुलासा नहीं करता संभवत: यह कहा जा सकता है कि अनुशासनात्मक क कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारी के आदेश की आवश्यकता होती है।	प्राधिकार: दिनांक 27-01-2000 को जीबी की 14वीं बैठक का आयोजन
43.	अभिलेखों को नष्ट करना	पूर्ण शक्तियां
44.	केन्द्रीय परिषद् के शीघ्र खराब होने वाली चीज़े या अनुपयोगी भण्डारके ब्याज में अन्यथा या नीलामी द्वारा क्रय का आदेश	पूर्ण शक्तियां
45.	अपने विवेक के आधार पर सार्वजनिक निकायों या गणमान्य व्यक्ति को उपहार देने का अधिकार	प्रति मामले में रू. 1000/- तक प्राधिकार: दिनांक 27-01-2000 को जीबी की 14वीं बैठक का आयोजन
46.	प्रतिहस्ताक्षर से उनके यात्रा भत्ते बिल का अधिकार	पूर्ण शक्तियां
47.	सी.सी.एस. अवकाश नियमों के अनुसार केन्द्रीय परिषद् के कर्मचारियों को विशेष विकलांगता अवकाश, अध्ययन अवकाश के साथ प्रत्येक अवकाश प्रदान करने का अधिकार	पूर्ण शक्तियां
48.	पक्षों के संबंध में 5 अग्रिम वेतन वृद्धि का प्रदान करना एवं स्वतंत्र या अस्थायी रूप में जिसमे अधिक वेतन स्केल रू. 13,500/- एवं चयन समिति की अनुशंसा के अनुसार नियुक्तियों को करने का अधिकार	पूर्ण शक्तियां
49.	समेकित आधार पर पार्ट टाइम नियुक्त एवं उनके तय पारिश्रमिक का अधिकार	प्रत्येक मजदूरी कार्यकर्ता या आकस्मिक या पार्ट टाइम क्रम में कर्मचारियों की क्षमता को वृद्धि ना करते हुए कर्मचारियों की रू. 3000/- प्रतिमार से जयादा ना बढ़ाने के संबंध में। प्राधिकार: दिनांक 13-12-2003 को जीबी की 17वीं बैठक का आयोजन
50.	अवकाश का अनुदान या स्थानापन्न पदोन्नति एवं डी पदो के पदग्राही के समूह ए एवं बी के पदों की स्थानापन्न पदोन्नति द्वारा रिक्ति के कारण में स्थानापन्न क्षमता में बाहरी लोगों को रोजगार देने का अधिकार जिसके लिए इसमें कोई रिजर्व अवकाश नहीं है	पदो के संबंध में पूर्ण शक्ति जिसमें वह नियुक्ति प्राधिकारी है।
51.	समूह सी एवं डी में पदों के सृजन का अधिकार समूह बी पद	पूर्ण शक्तियां दो वर्ष तक
52.	मुद्रण एवं जिल्दसाजी	कोडल औपचारिकताओं के विषय में पूर्ण शक्ति
53.	विविध वस्तुप र व्यय लेने का अधिकार	पूर्ण शक्तियां
54.	उपकरण/साधन इत्यादि/लघु अवधि परियोजना अध्ययन इत्यादि के क्रय का अधिकार	निधिकी उपलब्धता एवं निम्नलिखित उत्पादक व्यय सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायित्व के विषय में 1 करोड़ तक

		जीबी के अध्यक्ष के प्राधिकार अनुमोदित वाइड आयुष विभाग के पत्र सं. वी.27020/18/2010-आयु. डेस्क दिनांक 24.05.2010
55.	औषधि, रसायनिक, कच्ची औषधिइतयादि के व्यय का अधिकार	निम्नलिखित कोडल औपचारिक्ताएं एवं बजट की उपलब्धता के विषय में पूर्ण शक्ति प्राधिकार: दिनांक 27-01-2000 को जीबी की 14वीं बैठक का आयोजन
56.	कार्यालय उपकरण जैसे कम्प्यूटर, फैक्स, फोटोकॉपियर, लेपटोप, रेसोग्राफी मशीन इत्यादि के क्रय का अधिकार	डीजीएसएण्डडी दर अनुबंध के माध्यम से क्रय करने के विषय में 2 लाख तक या 75,000/- तक
57.	परिषद् के कर्मचारियों को घर निर्माण अग्रिम की स्वीकृति का अधिकार	समय समय पर भारत सरकार द्वारा जारी नियमों के तहत घर निर्माण अग्रिम हेतु पूर्ण शक्तियां प्राधिकार: दिनांक 27-01-2000 को जीबी की 14वीं बैठक का आयोजन
58.	बाह्य सरकार के माध्यम से परीक्षण एवं औषध मानकीकरण/ डीएसटी अनुमोदित अनुसंधान एवं औषध विकास कार्यक्रम के अधीन शैक्षिणक संस्थानप र व्यय का अधिकार	बजट आवंटन की अधिकतम सीमा के साथ पूर्ण शक्ति जीबी के अध्यक्ष के अनुमोदित वाइड पत्र सं. वी.27020/41/2005-आयु. डेस्क दिनांक 6 दिसम्बर 2005

अनुसूची ।।

उप निदेशकके नियम एवं विनियम के अधीन (प्रशा.)

बने प्रत्यायोजन के अधिकार

नियम 50 (1)

क्र.सं.	अधिकार	सीमा
1.	पेयजल की आपूर्ती एवं अपने स्वंय के कर्तव्यों में कार्यालयों की सफाई हेतु अवर सेवकों के लिए अल्प मासिक भुगतान का अधिकार	पूर्ण
2.	लेखन सामग्री, रबड़ की मोहरें एवं अन्य विविध प्रकार की लघु सामग्री के क्रय का अधिकार	पूर्ण उपलब्धता बजट प्रावधान से अधिक नहीं है।
3.	विविध एवं आकस्मिक प्रकृति के स्वीकृतव्य यय का अधिकार	प्रति मामले में रू. 100/- की राशि से अधिक न हो
4.	प्राधिकृत आकस्मिक व्यय के लिए अग्रिम स्वीकृति का अधिकार	रू. 500/ तक
5.	यात्रा भत्ता/ अनुमोदित स्थानान्तरण दौरे की स्वीकृत का अधिकार	पात्रता के अनुसार पूर्ण
6.	अनुमोदित स्थानान्तरण पर वेतन एवं स्थानान्तरित अग्रिम यात्रा भत्ता की स्वीकृति का अधिकार	नियम के अधीन देय सीमा तक

अनुसूची III

लेखा अधिकारी के अधिकार

नियम 50(1)

क्र.सं.	अधिकार	सीमा
1.	पारित हुआ वेतन, यात्रा भत्ता एवं मुख्यालय तथा एककों के स्टाफ के अन्य भत्ते बिल	पूर्ण
2.	पारित हुए एवं आकस्मिक व्यय के लिए प्रतिहस्ताक्षरित बिल	पूर्ण
3.	स्टाफ के अनुमोदित दौरों के लिए प्रतिहस्ताक्षरित यात्रा भत्ता बिल	पूर्ण
4.	अधिकारियों के अनुमोदित दौरों के लिए प्रतिहस्ताक्षरित यात्रा भत्ता बिल	पूर्ण
5.	रोकड़ पुस्तिका में प्रमाणित प्रविष्टियाँ	पूर्ण
6.	मासिक शेष नकदी की जांच	पूर्ण
7.	केन्द्रीय परिषद् द्वारा संयोजित बैठक में भाग लेने हेतु आमंत्रित सरकारी एवं गैर सरकारी के प्रतिहस्ताक्षरित यात्रा भत्ता बिल	पूर्ण

परिषद् का पुनर्नामकरण के अनुमोदन के लिए सभी सदस्यों के मध्य परिचालित एवं सीसीआरएएस की शासी निकाय द्वारा आयोजित विशेष बैठक का कार्यवृत्त

परिचालित कार्यसूची पर सदस्यों के भेजे गए अनुमोदन

1.	श्री गुलाम नबी आजाद	माननीय एचएफएम	अध्यक्ष
2.	श्री गांधी सेल्वन	माननीय एमओएस(एचएफएम)	उपाध्यक्ष
3.	श्री अनिल कुमार	सचिव (आयुष)	सदस्य
4.	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव	अवर सचिव एवं एफए	सदस्य
5.	डॉ. राकेश सरवाल	संयुक्त सचिव (आयुष)	सदस्य
6.	डॉ. रामहर्ष सिंह	प्रो. एमेरिटस, बीएचयु	सदस्य
7.	डॉ. वारियर.एम.पी	महाप्रबंधक, आर्या वैद्यशाला, कोट्टाकल	सदस्य
8.	प्रो. एम.एस.बघेल	निदेशक, आईपीजीटीआरए, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर	सदस्य
9.	पदमश्री वैद्य डी.के.त्रिगुणा	प्रख्यात आयुर्वेदिक फिजिशियन, नई दिल्ली	सदस्य
10.	डॉ.जयप्रकाश नारायण	उपाध्यक्ष, सीसीआईएम	सदस्य
11.	डॉ.वासुदेवन नामबूदरी	निदेशक(आईएसएम), केरल सरकार, त्रिबे द्रम	सदस्य
12.	प्रो.एस.एस.हाण्डा	चयरमैन, एपीसी	सदस्य
13.	डॉ.जी.एन.काजी	कुलपति, जामिया हमदर्द	सदस्य
14.	श्री डी.नारायणप्पा	मुख्य वनस्पति वैज्ञानिक, टीएनएमपीसीएल, चेन्न्ई	सदस्य
15.	डॉ.एम.एस.वालियान	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर, मनीपाल जीवन विज्ञान केन्द्र	सदस्य
16.	डॉ .रमेश बाबू देवल्ला	महानिदेशक, सीसीआरएएस, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

मुख्य कार्यसूची **सीसीआरएएस के मूल परिषद् से सिद्ध परिषद् का अलग होना एवं निर्माण होने पर सीसीआरएएस का पुनर्नामकरण के संबंध में शासी निकाय की अनुमोदन हेतु।**

परिषद् के शासी निकाय के सभी सदस्यों को दिनांक 29.12.1010 एवं 27.04.2011 (प्रति संलग्न है) को कार्यसूची इस अनुरोध के साथ परिचालित की गयी थी कि केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् के पुनर्निर्माण के संबंध में कार्यसूची पर अनुमोदन की संपुष्टि कर एवं उपर्युक्त सदस्यों ने अपना अनुमोदन भेज दिया है क्योंकि कार्यसूची शासी निकाय द्वारा पारित था।